कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म.प्र.)

पृ.क्र. 2506/स्थापना/2021 झाबुआ, दिनांक 24/12/21

//निविदा विज्ञप्ति//

जिला न्यायालय परिसर, झाबुआ में केन्टीन के संचालन के लिये वार्षिक अनुबंध हेतु पृथक–पृथक निविदायें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म मय शर्तों के इस कार्यालय से 200/–रूपये देकर जिला नाजिर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म दिनांक 31/12/2021 को दोपहर 02.00 बजे प्राप्त एवं जमा किये जावेंगी तथा निविदा दिनांक 03/01/2022 को सायं 05.00 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी/शर्तें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in तथा जिला न्यायालय झाबुआ के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकेगी।

24/12

(मोहम्मद सैय्यदुल अबरार)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

झाबुआ (म.प्र.)

केन्टीन संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

—:निविदा फार्म:—

कार्यालय की सील

प्रथम पक्षः— निविदाकर्ता का नाम..

पता ....

मोबाईल नंबर ....

किस स्थान पर केन्टीन का संचालन करना चाहते हैं

झाबुआ

द्वितीय पक्षः— जिला रजिस्ट्रार

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, झाबुआ (म.प्र.)

जिला न्यायालय परिसर, झाबुआ स्थित केन्टीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से वर्ष 2022 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैः—

//निर्धारित शर्तें//

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक 31/12/2021 के दोपहर 02.00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2. अनुज्ञा शुल्क झाबुआ न्यायालय परिसर स्थित केन्टीन हेतु न्यूनतम रूपये 21000/— प्रतिमाह की दर से होगा। उच्चतम निलामी राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करेंगे।
3. निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये संपादित किया जावेगा। अनुबंध अनुसार केंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई है, उस राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से द्वितीय पक्ष को अदा करनी होगी एवं अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्तानुसार न्यायालय परिसर झाबुआ हेतु स्थित केन्टीन हेतु एकमुश्त जमा करनी होगी। केंटीन संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से एक वर्ष की वृद्धि चाहने पर निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्त होने के दिनांक से एक माह पूर्व आवपेदनपत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
4. केंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटाई नहीं जावेगी।
5. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रूपये 5000/— की अमानत राशि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा, किंतु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के संयुक्त नाम की बैंक एफ.डी. के

रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जायेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर समिति द्वारा सम्पहृत की जा सकेगी।

6. सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परंतु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
7. केंटीन के संचालन हेतु आमंत्रित निविदा (पूर्व के वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के मान से) 12 माह की निविदा समयावधि हेतु न्यूनतम राशि रूपये 21000/- प्रतिमाह से कम की राशि मान्य नहीं होगी।
8. जिस निविदाकर्ता को अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक छः माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
9. अधिकतम बोली की प्रस्तावित की गई राशि अनंतिम होने की स्थिति में केंटीन संचालन के पूर्व वार्षिक अग्रिम के रूप में अदा करनी होगी, अन्यथा निविदा शर्तों का उल्लंघन होने से अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रथम पक्ष को केंटीन संचालन हेतु रोक दिया जावेगा।

10. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी। जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

11. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

12. केंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

14. निविदाकर्ता केंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा एवं विधि द्वारा प्रतिषेधित उत्पाद केंटीन में विकय नहीं करे और न ही किसी अन्य को केंटीन परिसर में उसके उपयोग की अनुमति देगा, अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

15. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु केंटीन परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केंटीन परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर केंटीन का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

16. समय–समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

17. निविदाकर्ता केंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में एवं समय–समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर केंटीन का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।

18. निविदाकर्ता केंटीन संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/ संरचना नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा केंटीन संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय को संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थायी निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

19. निविदाकर्ता केंटीन के मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधि जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

20. निविदाकर्ता केंटीहन का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करेगा।

21. निविदाकर्ता केंटीन का विधि अनुसार नगर पालिका निगम में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

22. कमांक 15, 16, 17 से संबंधित उल्लंघन के संबंध में या अन्यथा किसी भी आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष उसके लिये किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

23. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विकय की दरें द्वितीय पक्ष से अनुमोदित करवायी जावेगी तथा अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विकय की जावेगी। निविदाकर्ता न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को (ब्रांडेड प्रोडक्ट को छोड़कर) अनुमोदित दरों से 20 (बीस प्रतिशत) कम मूल्य पर खाद्य सामग्री विकय करेगा।

24. विकय योग्य वस्तुओं की दरें केंटीन परिसर को सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

25. निविदाकर्ता केंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस एक सौ रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

26. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से केंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा रूपये 500/— प्रतिदिन की दरा से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

27. केंटीन के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

28. भवन के नक्शे में उल्लेखित 'अ' स्थान का भाग केंटीन संचालन हेतु दिया जावेगा। निविदाकर्ता निविदा फार्म जमा करने से पूर्व केंटीन के स्थान का अवलोकन आवश्यक रूप से कर लेवें।

29. केंटीन प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 08.00 बजे से सायंकाल 06.30 बजे तक ही चलायी जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

30. अनुबंध अवधि में विद्युत तथा जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष कमांक 2 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।

31. सफल निविदाकर्ता द्वारा 'केंटीन परिसर' स्वयं के व्यय पर रंगरोगन, मरम्मत, फर्नीशिंग आदि कार्य समय–समय पर किया जावेगा।

32. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

33. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टॉम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादित किया जायेगा।

34. समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद

करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।

35. कार्यालय प्रधान जिला न्यायालय, झाबुआ द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

निविदाएं दिनांक 03/01/2022 को सायंकाल 05.00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)	हस्ताक्षर निविदाकर्ता (द्वितीय पक्ष)

राजकुमार चौहान सदस्य समिति	नदीम खान सदस्य समिति	संजय चौहान सदस्य समिति	महेंद्रसिंह तोमर अध्यक्ष समिति एवं विशेष न्यायाधीश झाबुआ (म.प्र.)